रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-07072026-274215
CG-JH-E-07072026-274215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2026/आषाढ 15, 1948
No. 519] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2026/ASHADHA 15, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 577(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 141 के उप-नियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों का मुख्य मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता, जिसे खान सुरक्षा महानिदेशक भी नामित किया गया है, एतद्द्वारा बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास पाठ्यक्रम निम्नानुसार निर्दिष्ट करता/करती हूँ:

दायरा: ये मानक उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केन्द्रीय) नियम, 2026 के नियम 141 के उप-नियम (2) के अधीन आवश्यक बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण एवं अभ्यास पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करते हैं।

प्रयोज्यता: ये मानक प्रत्येक बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति पर लागू होंगे।

अनुपालन आवश्यकता:

ए. निर्देश - निम्नलिखित विषयों पर निर्देश:-

(i) भूमिगत आग से निपटने और आग एवं विस्फोट के बाद खानों की पुनर्प्राप्ति के सामान्य तरीके;

(ii) उपलब्ध कराए गए श्वास यंत्रों और संपीड़ित वायु श्वास यंत्रों के प्रकार, उपयोग, मरम्मत, रखरखाव और परीक्षण;

(iii) व्यक्तियों को पुनर्जीवित करने के तरीकों और उपकरणों का उपयोग;

(iv) खानों में पाए जाने वाले हानिकारक और ज्वलनशील गैसों के गुण और उनकी पहचान के तरीके;

(v) श्वसनीय वातावरण में गैस के नमूने लेना;

(vi) खदान योजनाओं का पठन;

(vii) बचाव एवं पुनर्प्राप्ति कार्य का संचालन;

(viii) निर्दिष्ट उपकरणों का उपयोग करके रस्सी बचाव कार्य का संचालन;

(ix) लिफ्टिंग बैग, हाइड्रोलिक कटर, स्प्रेडर और जैक, रिंग आरी का उपयोग;

(x) अग्निशामक यंत्रों का उपयोग;

(xi) कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (हृदय-फुफ्फुसीय पुनर्जीवन)।

बी. अभ्यास। - प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम आठ अभ्यास, दो घंटे की अवधि के लिए श्वास यंत्र के साथ, जिनमें से कम से कम चार महीने खानों में और शेष बचाव केंद्र के प्रशिक्षण गैलरी में गर्म और सांस लेने में असमर्थ वातावरण में होंगे, और कम से कम दो अभ्यास कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रस्सी बचाव संचालन, लिफ्टिंग बैग, अग्निशामक यंत्र, हाइड्रोलिक कटर, स्प्रेडर और जैक तथा रिंग आरी के उपयोग में होंगे। जहां तक संभव हो, इन अभ्यासों को समान रूप से वितरित किया जाएगा, हालांकि दो लगातार अभ्यासों के बीच का अंतराल चार महीने से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि, यदि कोई बचाव प्रशिक्षित व्यक्ति चार महीने से अधिक की अवधि में पुनरावलोकन अभ्यास में भाग लेने में विफल रहता है, तो मुख्य निरीक्षक सह प्रशिक्षक, यह संतुष्ट होने पर कि व्यवधान वैध कारणों से था, उसे नियम 141 में निहित प्रावधानों के अधीन, लगातार पांच दिनों तक चलने वाले पुनरावलोकन अभ्यास और निर्देशों के एक विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दे सकता है, जिसके बाद, व्यक्ति पुनः सक्रिय हो जाएगा।

[फा. सं. डीजीएमएस/01-7/2026/सोमा (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 1st July, 2026

G.S.R. 577(E).— In exercise of the powers conferred on me under sub rule (2) of rule 141 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the courses of instructions and practices for rescue trained persons, as follows:

Scope: These standards specify the courses of instructions and practices for rescue trained persons, as required under sub rule (2) of rule 141 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: These standards shall be applicable to every rescue trained person.

Compliance Requirement:

A. Instructions. - Instructions in the following subjects:-

(i) the general methods of dealing with fires belowground and the recovery of mines after fires and explosions;

(ii) the construction, use, repair, maintenance and testing of the type or types of breathing apparatus and compressed air breathing apparatus provided.

(iii) the use of methods and apparatus for reviving persons;

(iv) the properties, and the methods of detection of noxious and inflammable gases which may be found in mines;

(v) the taking of gas samples in irrespirable atmosphere;

(vi) the reading of mine plans;

(vii) Conduct or rescue and recovery work.

(viii) conduct of rope rescue using specified equipment;

(ix) use of lifting bags, hydraulic cutters, spreaders and jacks, ring saws;

(x) use of fire extinguishers;

(xi) cardio pulmonary resuscitation.

B. Practices. - At least eight practices, with breathing apparatus for two hours duration in every calendar year, of which at least four months shall take place in mines, and the remainder in hot and irrespirable atmosphere in the Training Gallery at Rescue Station and at least two practices in cardio pulmonary resuscitation, conduct of rope rescue, use of lifting bags, fire extinguishers, hydraulic cutters, spreaders and jacks and ring saws. As far as practicable, these practices shall be evenly distributed, so however that the gap between two consecutive practices shall not exceed four months:

Provided that, if a rescue trained person fails to undergo a refresher practice over a period exceeding four months, the Chief Inspector cum Facilitator may, on being satisfied that the discontinuance was on valid reasons, permit him subject to the provisions confined in rule 141, to undergo a special course of refresher practices and instructions, extending over five consecutive days, where upon, person shall again become active.

[F. No. DGMS/01-7/2026/SOMA(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.